

जाता है कि उनका उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य में किया जा रहा है तो उपरोक्त प्रमाण की सत्यता सत्यापित किया जाने की अनुरोधों की जाती है।

- ✓ संपत्ति के अधिकार संबंधित दस्तावेज के अभाव में संपत्ति के मूल, मूल्य, उपयोग, उपयोग का अभाव अथवा अन्य किसी भी कारणों से संपत्ति के अधिकार का अभाव नहीं माना जाता है जो संपत्ति की सत्यता सत्यापित कर दी जाएगी।

✓ संपत्ति का अनुपस्थान या किराये देने वाले द्वारा किराये देने की तिथि से निश्चयपूर्वक अनुपस्थान करवा लेने की भी जाती है।

(सत्यापित करने)

तारीख

दिनांक: 11/11/2022

पुस्तक संशोधन संस्थान संख्या 02/11/2022-11/22

स्थिति:-

जगतजी (P.T.M.) WADIA DEVI PHARMACY COLLEGE

(सत्यापित करने)

तारीख

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविष/परिषद/सम्बद्धता/2022/10235

लखनऊ दिनांक: 04/11/2022

कार्यालय ज्ञापः

अभिन्न भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मोसी कन्डन्सिड ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 04/11/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संबलित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता कृद्वि सहित अन्य मत्वों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोठ एवं नाम : 1300-URNILA DEVI PHARMACY COLLEGE

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईसीटीआई/पीसीआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईसीटीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तमि वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मोसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मोसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। एमिस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु एमिस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो एमिस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करेगा होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आईसीटीआई/पीसीआई से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में सम्मत

उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संबद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम दाखल किया जाता है तथा दाखल कदम के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति पट्टन नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, राज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही करेगी।
- ✓ संस्था के ओपक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य राज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनत्मक कार्यवाही की जाएगी।

(एफ०आर० खान)

सचिव

फ०सं०- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2022/10236-10244

दिनांक: 04/11/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, URMILA DEVI PHARMACY COLLEGE

(एफ०आर० खान)

सचिव

PRINCIPAL
URMILA DEVI
Pharmacy College
Bara Sahaspur
Jalesar (Etah) U.P.

Decisions of PCI on appeals on rejected cases of Introduction of New Course [Ref: Item No.4 of 381/EC (U.I.1.2022

S.No	EC No./Item No./ Institution Name/ (If Course)	Examining Authority/ Board	EC decision
	PCI-2017		
10	320/EC/20 UN-001-2022-2023 Uttarakhand Technical College B.A. POLITICAL SCIENCE B.A./B.A.(HONS) B.A./B.A.(HONS)	B.PUNJAB The Secretary State Technical Education Uttarakhand Dehradun Uttarakhand State Technical Education Dehradun Uttarakhand State Technical Education Dehradun	The Board of Technical Education, Dehradun, Uttarakhand has received an appeal from Punjab and considered it. In view of the facts and circumstances of the case, the Board has decided to reject the application for B.A. course.

Principal,
B.A. and B.A.(HONS)
Uttarakhand State
Technical Education,
Dehradun, Uttarakhand

Decisions of PCI on appeals on rejected cases of Introduction of New Course [Ref: Item No.4 of 381/EC (11.11.20

<u>S. No.</u>	<u>EC No. / Item No. / Institution Name / ID/ Course</u>	<u>Examining Authority / Hospital</u>	<u>EC decision</u>
	<p>FASINPUR, FALESAN, BTALITJAJI, 207102 MCI - 2891 D.Pharm D.Pharm</p>		<p>Regarding Appeals (Pharmacy Practiced) cases- The best information on record including appeal was placed and considered.</p>
28	<p>370 EC/22 UNS-510/2022-2023</p>	<p>D.Pharm The Secretary (Law Section) Board of Technical Education C-009 Convent Stage Mandi</p>	